# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

वसीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 409/2018

CMS No. : 2018/00264

–:: प्रार्थीगण ::–

1. पिस्ता पत्नी पेमाराम
2. धनराज पुत्र पेमाराम
3. पूजा पुत्री पेमाराम
4. सुनिता पुत्र पेमाराम

सायलान् संख्या 2 से 4 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता पिस्ता जातियान– बावरी, निवासीगण– खराड़ी तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मोहन पुत्र रुघनाथ
2. रामप्यारी पत्नी मोहन
3. अर्जुनराम पुत्र मोहन जातियान– बावरी, निवासीगण– खराड़ी तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
4. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजियन अधिकारी तहसील जैतारण, जिला– पाली राज0।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर महोदय, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/07/2018

उपस्थितः. 1. श्री संगीता व्याय, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. तहसीलदार जैतारण पैरोकार राज0।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः 30/12/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान् एवं गैरसायलान् की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 596 रकबा 18–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जिस पर सायलान् अपने हिस्से अनुसार कब्जाकाश्त करते आ रहे है। इस वर्ष भी सायलान् ने अपनी भूमि में फसल बो रखी है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सायलान् की पैतृक संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की भूमि है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। सायलान् द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अनुसार सायलान संख्या एक पिस्ता के ससुर एवं सायलान् संख्या दो से चार के परदादा गैरसायलान संख्या एक मोहन नाम की कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी होनें से उनके नाम की दर्ज की गई थी। मोहन के दो पुत्र है। जो क्रमशः अर्जुनराम व दयालराम, अर्जुनराम के पुत्र पेमाराम जो फौत हो चुका हैं। पेमाराम के वारिसान है जिसमें से सायलान् संख्या एक पिस्ता (पत्नी) व पुत्र धनराज व पुत्रीयां पूजा व सुनिता जो प्रार्थनापत्र में सायलान पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:31:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तथा गैरसायलान् संख्या एक मोहन जो कि आंखों से अंधा व्यक्ति है उसको
छ दिखाई नहीं देता है एवं काफी वृद्ध व मंदबुद्धि है तथा उसकी पत्नी गैरसायल
ख्या दो रामप्यारी तथा गैरसायलान संख्या तीन अर्जुनराम जो कि मोहन का पुत्र
। गैरसायलान संख्या एक मोहन को गैरसायलान् संख्या तीन अर्जुन जो कि
राबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं आदतन शराब की लत है इस कारण गैरसायलान्
ंख्या एक मोहन को शराब को शराब पीलाकर उसको अपने वश मे कर रखा है
वमृ जमीन बेचने पर आमादा है तथा दिनांक 12/07/2018 को सायलान् संख्या
क एवम् गैरसायलान् के बीच पारिवारिक कारणो को लेकर बोलचाल हो गई तो
ायलान् संख्या एक को गैरसायलान् ने धमकी दी कि वह वादिया व उसके बच्चो
को घर से निकाल देगा तथा सायलान् के हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि को
बेचकर मिलने वाली भारी रकमको शराब मे उडा देगा तथा सायलान् को भूमिहीन
कर देगा तथा सायलान् संख्या एक ने गैरसायलान् को समझाया कि उसके हिस्से
की कृषि भूमि का बेचान क्यो कर रहे हो, लेकिन गैरसायलान् ने कहा कि तुम्हारी
नाम कोई कृषि जमीन नही है उक्त कृषि भूमि गैरसायलान् संख्या एक मोहन के
नाम की राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है उसे कभी भी हम लोग बेच सकते है।
गैरसायलान् संख्या एक व तीन तथा मोहन की पत्नी रामप्यारी के द्वारा मिलीभगत
कर कृषि भूमि का बेचान कर देते है, तो सायलान् को अपने पैतृक कृषि भूमि से
हमेशा हमेशा के लिए वंचित होना पडेगा तथा सायलान् का एक मात्र कमाई का
जरिया वादग्रस्त कृषि भूमि ही है। सायलान् वादग्रस्त कृषि भूमि से होने वाली
फसल से अपना व अपने बच्चो को भरण पोषण जीवन यापन करते है लेकिन
गैरसायलान् अपनी जिद्द पर अड़े रहे और वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान करने की
धमकी देने पर सायलान् संख्या एक ने दिनांक 13/07/2018 को राजस्व रेकर्ड
की नकले तहसील कार्यालय से प्राप्त की तब सायलान् संख्या एक को पता चला
कि उसके पति पेमाराम के नाम कोई कृषि भूमि नही है सामना कि महिला
क्योकि सायलान संख्या एक के पति का देहान्त हो चुका है, और सायलान् संख्या
एक के दादी ससुर जीवित होने से सायलान् संख्या एक के पति का नाम राजस्व
रेकर्ड मे दर्ज नहीं है। इस बात का गैरसायलान् द्वारा नाजायज फायदा उठाकर
वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान करने पर आमादा है। सायलान् संख्या एक के पति
के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। गैरसायलान् संख्या
एक मोहन को अकेले उक्त भूमि बेचान करने का कानूनन अधिकारी नहीं होते हुए
भी गैरसायलान् संख्या तीन अर्जुनराम की सिखावा व बहकावट व शर[illegible] मे
धूत होकर वादग्रस्त कृषि भूमि का जबरन बेचान [illegible]
वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान पंजीयन अधिकारी जैतारण के समक्ष बेचान [illegible] देता
है, तो सायलान् अपने पैतृक पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी एवं जीवन[illegible]न एवं
साम्पतिक कानूनी अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा तथा
सायलान् को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह संभव नही हो
सकेगी। तथ्यो, परिस्थितियो, दस्तावेजात व मौके पर लगातार कब्जा काश्त की रुह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:31:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायलान् के पक्ष मे बहुत ही मजबुत प्रथम दृष्टिया मामला प्रमाणित है तथा धा का सन्तुलन भी प्रत्येक दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे है। अतः र्थनापत्र मय शपथपत्र दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा रूद्ध गैरसायलान् इस आशय की जारी फरमावे कि गैरसायलान् संख्या एक से न प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का किसी अन्य क्ति को बेचान हस्तान्तरण रहन गिरवी वसीयत दान बक्सीस इत्यादि नही करे न इस बाबत् कोई दस्तावेज तकमील व पंजीयन करावे तथा गैरसायलान् संख्या र व पांच भी ऐसे किसी दस्तावेज के प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करे ही वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे जरिये नामान्तरण के कोई नई विष्ठि करे सायलान् अपने हिस्से की कृषि भूमि का मन माफिक उपयोग उपभोग रे एवम् काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे उसमे किसी प्रकार की बाधा कटोक, अडचन, व्यवधान न तो गैरसायलान् स्वयं करे न परिवार के सदस्यो श्तेदारो नौकरो एजेन्ट हाली आदि से करावे ।उपरोक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान् के पक्ष मे व विरूद्ध गैरसायलान् पारित फरमावें। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनास/नोटिसेज तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

***(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होनें से जन्म से हक अधिकार निहित होनें के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थीया पिस्ता एवं धनराज, पूजा, सुनिता स्वर्गीय पेमाराम की क्रमशः पत्नी, पुत्र एवं पुत्री है तथा स्वर्गीय पेमाराम अप्रार्थी सं. 01 मोहन पुत्र रूधाराम का पौत्र है तथा अप्रार्थी संख्या तीन अर्जुनराम पुत्र मोहन का पुत्र हैं। अतः मूल वाद के अवुतोष पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से अधिकार निहित होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति स्थापित होता है।

***(02) सुविधा का संतुलन :-*** प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हो चुका है, अतः पैतृक आराजी के सम्बन्ध में प्रत्येक वारिसान के पक्ष में जन्म से उसके हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित माना जाता है। अतः बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होता है।

***(03) अपूर्णनीय क्षति :-*** प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हो चुके है, वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:31:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

र्थी संख्या 01 का नाम अभिलिखित है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। ः वाद के निस्तारण तक यदि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के रहन बैचान तारण को निषिद्ध करनें हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही की जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता होनें की पूर्ण संभावना है तथा ससे अपूर्णीय क्षति निश्चित प्रार्थीगण को ही होगी। अतः बिन्दू भी प्रार्थीगण के क्ष में ही साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट वं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में उनके हक-हिस्से तक साबित होता है, अतः हम हस्तगत प्रकरण में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

## -: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें व सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम खराड़ी पटवार हल्का डिगरना भू अभिलेख क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 596 रकबा 18-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:31:47 I
Reason: SelfAttested